

आपदा जोखिम न्यूनीकरण

कैलेंडर
2020

श्री नीतीश कुमार
मुख्यमंत्री, बिहार-सह-अध्यक्ष
बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण



नव वर्ष की
हार्दिक शुभकामनाएँ



बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
BIHAR STATE DISASTER MANAGEMENT AUTHORITY
(आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार)



बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 (53 की धारा 14) के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं. 3449/आ०प्र० दिनांक 06.11.2007 के द्वारा हुआ है।

माननीय मुख्यमंत्री, बिहार, प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष तथा मुख्य सचिव पदेन सदस्य सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी हैं।

प्राधिकरण में एक उपाध्यक्ष समेत कुल 9 सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान है। वर्तमान में प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री व्यास जी, भा०प्र०से० (से.नि.) एवं सदस्य डॉ० उदयकांत मिश्र तथा श्री पारस नाथ राय, भा.पु.से. (से.नि.) नियुक्त एवं कार्यरत हैं।

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 18 के अंतर्गत राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को यह दायित्व सौंपा गया है कि वह राज्य में आपदा प्रबंधन की नीतियों एवं योजनाओं के निर्माण के साथ-साथ निम्न विशिष्ट कार्यों को सम्पादित करे :

- (क) राज्य आपदा प्रबंधन नीति का निर्धारण करना।
- (ख) राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार राज्य आपदा प्रबंधन योजना का अनुमोदन करना एवं कार्यान्वयन का समन्वय करना।
- (ग) राज्य सरकार के विभागों द्वारा तैयार की गयी आपदा प्रबंधन योजनाओं का अनुमोदन करना।
- (घ) राज्य सरकार के विभागों द्वारा उनकी विकास योजनाओं में आपदाओं की रोकथाम एवं शमन के उपायों को समाहित कराने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करना एवं आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना।
- (ङ) आपदा शमन (Mitigation) और तैयारी उपायों के लिए निधियों की व्यवस्था करने की अनुशंसा राज्य सरकार को करना।
- (च) राज्य के विभिन्न विभागों की विकास योजनाओं की समीक्षा कर सुनिश्चित करना कि आपदाओं की रोकथाम एवं न्यूनीकरण के उपाय इन योजनाओं में शामिल किये गये हों।
- (छ) राज्य सरकार के विभागों द्वारा आपदा शमन (Mitigation), क्षमतावर्द्धन और तैयारी के लिए किये जा रहे उपायों की समीक्षा करना एवं आवश्यकतानुसार मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करना।
- आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 19 के अनुसार राज्य के आपदा प्रभावितों को राहत के लिए विस्तृत मानदंड तय करना। परंतु यह मानदंड किसी भी दशा में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन

प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानदंड से कम नहीं हों।

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई आपदा प्रबंधन योजना का अनुमोदन करना।

उपरोक्त के साथ-साथ प्राधिकरण वर्तमान में निर्मांकित महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का संचालन कर रहा है:

राज्य के अभियंताओं/वास्तुविदों एवं राजमिस्त्रियों को भूकंपरोधी भवन निर्माण तकनीक पर प्रशिक्षण।

राज्य के नाविकों एवं नाव मालिकों का सुरक्षित नौका परिचालन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम।

आदर्श नौका परिचालन नियमावली के अनुसार अधिसूचित सर्वेक्षकों/निबंधकों का प्रशिक्षण।

बिहार प्रशासनिक सेवा एवं बिहार पुलिस सेवा के सभी पदाधिकारियों का आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्रशिक्षण।

मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के तहत शिक्षा विभाग के सहयोग से राज्य के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों में सुरक्षित शनिवार का आयोजन।

जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा जन-जागरूकता कार्यक्रम।

पशु चिकित्सकों का आपदाओं में पशुओं के प्रबंधन विषयक प्रशिक्षण।

6-18 आयुर्वर्ग के बाल/ बालिकाओं को छूबने से बचाने हेतु सुरक्षित तैराकी कार्यक्रम का क्रियान्वयन।

बिहार टेलीमेट्री नेटवर्क की स्थापना।

आपदा राहत बचाव विषयक सामुदायिक प्रशिक्षण।

आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर सघन जन जागरूकता कार्यक्रम।

राज्य के सभी पंचायतों के प्रतिनिधियों का बहु-आपदा जोखिम न्यूनीकरण संबंधित प्रशिक्षण।

जीविका दीदीयों का आपदा प्रबन्धन में प्रशिक्षण।

शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों का प्रशिक्षण।



बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
BIHAR STATE DISASTER MANAGEMENT AUTHORITY
(आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार)



शीतलहर से बचाव

JANUARY
2020

राज्य में ठंड के मौसम में सामान्यतया दिसम्बर माह के अंतिम सप्ताह से जनवरी माह के तीसरे सप्ताह तक शीतलहर का प्रकोप रहता है। सामान्यतया यदि तापमान 7 डिग्री से 0 अथवा उससे कम हो जाय तो इसे शीतलहर की स्थिति माना जाता है। शीतलहर से मानव एवं पशुओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतएव शीतलहर से बचाव हेतु जनसाधारण को निम्न सलाह दी जा रही है।



शीतलहर या ठंड लगाने पर व्यक्ति में निम्न लक्षण उत्पन्न होते हैं:-

1. शरीर का ठंडा होना एवं अंगों का सुन्न पड़ना।
2. अत्यधिक कपकपी या ठिठुरन।
3. बार-बार जी मिचलाना या उल्टी होना।
4. अद्वेषी की स्थिति अथवा बेहोश होना।

शीतलहर या ठंड से बचाव के उपाय:-

- u अनावश्यक घर से बाहर न जाएँ और यथासम्भव घर के अंदर सुरक्षित रहें (विशेषकर वृद्ध एवं बच्चे)।
- u यदि घर से बाहर जाना आवश्यक हो तो समुचित ऊनी एवं गर्म कपड़े पहन कर ही निकलें। बाहर निकलते समय अपने सिर, चेहरे, हाथ एवं पैर को भी उपयुक्त गर्म कपड़े से ढक लें।
- u समाचार पत्र/रेडियो/टेलीविज़न के माध्यम से मौसम की जानकारी लेते रहें।
- u शरीर में उष्मा के प्रवाह को बनाये रखने के लिए पौष्टिक आहार एवं गर्म पेय पदार्थों का सेवन करें।

- u कमरों में जलती हुई लालटेन, दीया एवं कोयले की अंगीठी का प्रयोग करते समय धुंएँ के निकास का उचित प्रबंध करें। प्रयोग के बाद इन्हें अच्छी तरह से बुझा दें।
- u हीटर, ब्लॉअर आदि का प्रयोग करने के बाद स्वच्छ ऑफ करना न भूलें अन्यथा यह जानलेवा हो सकता है।
- u राज्य सरकार द्वारा शीतलहर में सार्वजनिक स्थलों पर की गई अलाव की व्यवस्था का लाभ उठाकर शीतलहर से बचा जा सकता है।
- u राज्य सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में बेघरों के लिए रैन-बसरों का प्रबंध किया जाता है, जहाँ कंबल/बिस्तर आदि उपलब्ध रहते हैं। इन सुविधाओं का उपयोग करें।
- u उच्च रक्तचाप एवं मधुमेह के मरीज तथा हृदय रोगी चिकित्सक की सलाह जरूर लेते रहें तथा सामान्यतया धूप होने पर ही घर से बाहर निकलें।
- u विशेष परिस्थिति में नजदीकी सरकारी अस्पताल से अविलम्ब चिकित्सीय परामर्श लें।
- u पशुओं का बथान गर्म रखने की समुचित व्यवस्था करें। पशुओं को ठंड लगाने पर पशु अस्पताल/पशु चिकित्सक की सलाह लें।



JANUARY जनवरी

2020

HOLIDAY

Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
							1	2	3	4	5		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		

- 02 जनवरी गुरु गोविन्द सिंह जन्म दिवस
26 जनवरी गणतंत्र दिवस
30 जनवरी वसंत पंचमी

सुरक्षित शनिवार :

- प्रथम शनिवार : शीतलहर तूफान से खतरे एवं इसके उपाय के बारे में जानकारी
- द्वितीय शनिवार : रेल / सड़क दुर्घटना से खतरे एवं उपाय के संदर्भ में जानकारी
- तृतीय शनिवार : भूकंप के संदर्भ में कौशल विकास एवं प्रशिक्षण तथा अभ्यास (मॉकड्रिल)
- चतुर्थ शनिवार : बाल अधिकार, बाल विवाह, बाल शोषण तथा बच्चों से छेड़छाड़ के संदर्भ में जानकारी



बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
BIHAR STATE DISASTER MANAGEMENT AUTHORITY
(आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार)



भूकम्प से बचाव के लिए क्या करें, क्या न करें।

FEBRUARY
2020

भूकम्प से पहले

हमारे राज्य के सभी जिले भूकम्प के किसी न किसी जोन से आते हैं। भूकम्प की कोई भविष्यवाणी नहीं हो सकती। भूकम्प कभी भी आ सकता है। भूकम्प से बचने हेतु निम्नानुसार सलाह दी जाती है।



भूकम्प के दौरान



यदि गाड़ी चला रहे हों, तो सड़क के किनारे रुकें, पुल पर न चढ़ें।

यदि सिनेमा या मॉल में हो, तो अपनी जगह पर शांत रहें, झटका रुकने पर क्रम से बाहर निकलें।

भूकम्प के बाद



FEBRUARY फरवरी

2020

HOLIDAY

Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
												1	2
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

09 फरवरी संत रविदास जयंती
21 फरवरी महाशिवरात्रि

सुरक्षित शनिवार :

- प्रथम शनिवार : भूकम्प से खतरे एवं बचाव के बारे में जानकारी (मॉकड्रिल)
- द्वितीय शनिवार : कुपोषण से होनेवाली परेशानियाँ एवं उसके समाधान के संदर्भ में जानकारी
- तृतीय शनिवार : बिजली से घात, जल जमाव से परेशानियाँ तथा बोरिंग के गहरे से होनेवाली घटनाओं के बारे में जानकारी
- चतुर्थ शनिवार : जल एवं भूमि का संरक्षण, वायु प्रदूषण एवं पेड़-पौधे का संरक्षण के संदर्भ में जानकारी



बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
BIHAR STATE DISASTER MANAGEMENT AUTHORITY
(आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार)

द्वितीय तल पंत भवन, बेली रोड, पटना – 800001, फोन : +91(612) 2522032, फैक्स : +91(612) 2532311, Visit us : www.bsdma.org e-mail : info@bsdma.org अन्य उपयोगी फोन नंबर, राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र (SEOC-0612-2294204-205)



गर्मी के मौसम में कमोवेश राज्य के सभी जिलों में चक्रवाती तूफान आते हैं। राज्य के पूर्वोत्तर जिलों में वर्ष 2010 एवं 2015 में चक्रवाती तूफान के कारण जन-जीवन प्रभावित हुआ था तथा जन-धन की भारी क्षति हुई थी। चक्रवाती तूफान के अलावा गर्मी के मौसम में राज्य के कमोवेश सभी जिलों में आँधी की घटनाओं के चलते जन-धन की भी क्षति होती है।


चक्रवाती तूफान/तेज आँधी से बचने के उपाय:-

- u जब तक आँधी तूफान शांत न हो जाय, तब तक घर से बाहर न निकलें।
- u आवास में ऊपरी तलों की अपेक्षा भूतल पर रहें।
- u रेडियो और टीवी पर मौसम के साफ होने का संदेश प्रसारित होने का इंतजार करें।
- u पुराने और क्षतिग्रस्त भवनों और पेड़ों के नजदीक आश्रय लेने से बचें।
- u बिजली और टेलीफोन के खंभों के नीचे न खड़े हों। खंभों के गिरने से शारीरिक क्षति हो सकती है।
- u घर से बाहर होने पर किसी छतदार मकान में आश्रय लें।

चक्रवाती तूफान या आँधी से बचाव हेतु ढालदार छत का निर्माण:-

- u वायु गति के प्रभाव से बचने के लिये, एक या दो तरफ ढाल के बदले, चारों तरफ ढलान वाली छत बनाना चाहिए। वर्षा से दीवारों के बचाव हेतु चारों तरफ छत 18 ईंच तक लटका सकते हैं। लटकी हुई कड़ी के अंतिम पर्लिन को दीवार के साथ कसकर बाँधना चाहिए।
- u वायु चूषण के कारण छत के ऊपर उठने के प्रभाव को कम करने के लिए, छत की ढाल 2:1 (2 पड़े : 1 खड़े) अनुपात में बनाएं।
- u स्टील चादर वाली छतों की संरचना ढाँचे में बाँस की मुख्य कड़ी 600 मि. मी. से अधिक दूरी पर नहीं रखी जाये। खपरैल छतों में यह 300 मि.मी. से अधिक नहीं होनी चाहिए। खपरैल छतों में तार (GI wire) से तिरछी बन्धनी लगाएं।
- u छत के जस्ती स्टील चादर (GI sheet) को, अलकतरा वाशर एवं लोहे के वाशर के साथ, J बोल्ट के सहारे या पेंच के सहारे, छत की कड़ी (पर्लिन) से जकड़ दें।
- u जहाँ आँधी का प्रकोप ज्यादा हो तो U बोल्ट लगायें। यदि टोपीदार कील का उपयोग करना हो तो वे इतने लम्बे हों कि कड़ी की दूसरी तरफ कील पार कराकर मोड़ा जा सके। इन कीलों अथवा J बोल्टों की परस्पर दूरी 18 ईंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। छत के निचले भाग के ऊपर स्टील की बत्ती लगाकर, J बोल्ट के सहारे सबसे निचले पर्लिन के साथ बाँध सकते हैं।

नोट :- हल्की सामग्री से बनी छत जो दीवार के साथ सुदृढ़ता पूर्वक न जुड़ी हों, वो उड़ सकती हैं।



MARCH							मार्च							2020						
Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
						1	2	3	4	5	6	7	8							
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22							
23	24	25	26	27	28	29	30	31												

HOLIDAY

10-11 मार्च होलिका

22 मार्च बिहार दिवस

सुरक्षित शनिवार :

- | | |
|----------------|---|
| प्रथम शनिवार | : अगलगी से खतरे एवं बचाव के संदर्भ में जानकारी |
| द्वितीय शनिवार | : चक्रवाती तूफान / आँधी से खतरे एवं इससे बचाव के उपाय के बारे में सावधानी |
| तृतीय शनिवार | : डायरिया के संबंध में जानकारी या ओ.आर.एस. बनाने से संबंधित कौशल प्रशिक्षण एवं अभ्यास |
| चतुर्थ शनिवार | : AES/JE से बचाव के बारे में जानकारी |
| पंचम शनिवार | : स्वच्छता संबंधित जानकारी एवं उसका अभ्यास |



बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
BIHAR STATE DISASTER MANAGEMENT AUTHORITY
(आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार)

द्वितीय तल पंत भवन, बेली रोड, पटना - 800001, फोन : +91(612) 2522032, फैक्स : +91(612) 2532311, Visit us : www.bsdma.org e-mail : info@bsdma.org अन्य उपयोगी फोन नंबर, राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र (SEOC-0612-2294204-205)



जलवायु परिवर्तन

APRIL
2020

मानवजनित कारणों से होने वाला जलवायु परिवर्तन आज समाज के समक्ष सबसे बड़ा संकट है, जिससे समय निपटना वर्तमान की सबसे बड़ी चुनौती है। जलवायु परिवर्तन का सर्वाधिक प्रभाव मौसम चक्र पर हो रहा है। अत्यधिक गर्मी एवं सर्दी तथा वर्षापात की अनियमितता काफी हद तक जलवायु परिवर्तन के प्रत्यक्ष परिणाम है। बिहार राज्य की लगभग तीन चौथाई आबादी जो अपनी जीविका के लिए कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों पर निर्भर है, जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित हो रही है। जलवायु परिवर्तन कृषि के साथ-साथ, स्वास्थ्य एवं अन्य क्षेत्रों को भी कुप्रभावित कर रहा है। समय रहते जलवायु परिवर्तन के कारकों को न्यून करना एवं जलवायु परिवर्तन के साथ सामंजस्य स्थापित करने से इस समस्या से काफी हद तक समाधान पाया जा सकता है।



जलवायु परिवर्तन के कारणों को रोकने के साथ अनुकूलन रणनीतियाँ अपनानी होंगी जो निम्न हैं।

डिब्बा बंद पानी का उपयोग न करें।

सप्ताह में एक बार कार पूलिंग अवश्य करें। बिल का भुगतान ऑन-लाइन करें।

प्रिंट कम करने की आदत बनायें, आवश्यकता पड़ने पर ही प्रिंट करें।

पैदल चलें या साईकिल का उपयोग करें।

पुनः उपयोग होने वाले थैले का उपयोग करें।

कागज के दोनों तरफ लिखें।

घरेलू उत्पादों को खरीदें।

गाढ़ी के टायरों में पर्याप्त हवा रखें।

रिचार्जेबल बैटरी का उपयोग करें।

प्लास्टिक एवं प्लास्टिक से बने उत्पाद का इस्तेमाल कम करें।

आँइये हम कार्बन फुटप्रिंट को कम करें।

जलवायु परिवर्तन से पृथ्वी पर धूल ही धूल, खो देंगे हम तितली और फूल

APRIL							अप्रैल							2020						
Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
														1	2	3	4	5		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30										

जलवायु परिवर्तन

- u जलवायु परिवर्तन पर कार्य करने वाली संस्था (Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC) के अनुसार औद्योगिक क्रान्ति के समय से अभी तक पृथ्वी के औसत तापमान में लगभग 1°C की वृद्धि हो चुकी है।
- u पृथ्वी के तापमान में वृद्धि का मुख्य कारण वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों यथा कार्बन-डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड इत्यादि की मात्रा वृद्धि होना है।
- u जलवायु परिवर्तन का सर्वाधिक प्रभाव मौसम चक्र पर पड़ रहा है। जिसका परिणाम अत्यधिक गर्मी/सर्दी के साथ-साथ वर्षापात की मात्रा एवं अनियमितता के रूप में परिवर्तित हो रहा है।
- u जलवायु परिवर्तन का ही परिणाम है कि राज्य के कई जिलों में एक साथ जहाँ एक स्थान पर अतिवृष्टि के कारण बाढ़ आती है, साथ ही उसे जिले के दूसरे भाग में अल्प वर्षा से सुखाड़ की स्थिति आम हो गयी है।
- u जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी के चारों ओर ओजोन परत के रूप में सुरक्षित कवच का हास हो रहा है, जिससे मानव एवं पशु स्वास्थ्य पर बेहद खतरनाक प्रभाव पड़ रहा है।
- u विभिन्न संसाधनों यथा जल, वायु, मृदा, जीवाश्म ईधन, विद्युत, एयर-कंडिशनर इत्यादि का आर्थिक सदुपयोग कर जलवायु परिवर्तन को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है।
- u विकास एवं अन्य कार्य-कलापों में बदलते परिवेश के आलोक में अनुकूलन (Adaptation) से जलवायु परिवर्तन के परिणामों के साथ सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है।
- u बदलते मौसम के अनुरूप कृषि पद्धति एवं फसलों में परिवर्तन/अनुकूलन से कृषि पर जलवायु परिवर्तन के कुप्रभावों को काफी हद तक कम किया जा सकता है।
- u वृहद स्तर पर वृक्षारोपण, जल संचयन, पर्यावरण संरक्षण, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को न्यून करके जलवायु परिवर्तन के कारकों पर नियंत्रण किया जा सकता है।

सुरक्षित शनिवार :

- | | |
|----------------|---|
| प्रथम शनिवार | : फोकल शिक्षक एवं वाल प्रेरकों का चयन |
| द्वितीय शनिवार | : विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति का गठन / पुर्नगठन |
| तृतीय शनिवार | : हजार्ड हंट |
| चतुर्थ शनिवार | : अगलगी से खतरे एवं बचाव के बारे में जानकारी |



बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
BIHAR STATE DISASTER MANAGEMENT AUTHORITY
(आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार)

द्वितीय तल पंत भवन, वेली रोड, पटना - 800001, फोन : +91(612) 2522032, फैक्स : +91(612) 2532311, Visit us : www.bsdma.org e-mail : info@bsdma.org अन्य उपयोगी फोन नंबर, राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र (SEOC-0612-2294204-205)



अगलगी से बचाव

MAY
2020



क्या करें

- u रसोई घर यदि फूस का हो तो उसकी दीवार पर मिट्टी का लेप अवश्य कर दें तथा रसोई घर की छत ऊँची रखी जाये।
- u आग बुझाने के लिए घर में बोरे में भरकर बालू अथवा मिट्टी तथा दो बाल्टी पानी अवश्य रखें।
- u हवन आदि का काम सुबह 9 बजे से पहले सम्पन्न कर लें।
- u शार्ट सर्किट की आग से बचने के लिए बिजली वायरिंग की समय पर मरम्मत करा लें।
- u मवेशियों को आग से बचाने के लिए मवेशी—घर के पास पर्याप्त मात्रा में पानी का इंतजाम रखें एवं उनकी निगरानी अवश्य करते रहें।
- u पटाखे जलाते समय पानी की बाल्टी तथा रेत की पर्याप्त व्यवस्था रखें।
- u जहाँ पर सामूहिक भोजन बनाने इत्यादि का कार्य हो रहा हो, वहाँ पर दो से तीन झूम पानी अवश्य रखें।
- u जहाँ तक संभव हो गर्मियों में दिन का खाना 9 बजे सुबह से पूर्व बना लें तथा रात का खाना शाम 6 बजे के बाद बनाएँ।
- u ग्रामीण क्षेत्रों में हरा गेहूँ, खेसारी, छिमी भी बच्चे भुनते हैं। ऐसे में आग लगने से बचने के लिए उनपर निगरानी रखें।
- u आग लगने पर सर्वप्रथम समुदाय के सहयोग से आग बुझाने का प्रयास करें।
- u अगर कपड़ों में आग लगे तो जमीन पर लेटकर/लुढ़क कर बुझाने का प्रयास करें।
- u बिजली के लूज तारों से निकली चिनगारी भी आग लगने का कारण बन जाती है। अतएव जहाँ कहीं लूज तार दिखे उसकी सूचना बिना देर किये ऊर्जा विभाग/संबंधित बिजली कंपनी के अभियंताओं को दें।

गर्मी के दिनों में जब पछुआ हवा तेजी से चलती है तो गांवों में अगलगी की घटनाएं बड़े पैमाने पर होती हैं तथा घर, खेत, खलिहान एवं जान—माल को अगलगी से भारी क्षति पहुंचती है।

क्या न करें

- u दीपक (दीया), लालटेन, मोमबत्ती को ऐसी जगहों पर न रखें जहाँ से गिरकर आग लगने की संभावना हो।
- u कटनी के बाद खेत में छोड़े डंठलों में आग नहीं लगायें।
- u घर में किसी भी उत्सव के लिए लगाये कनात अथवा टेन्ट के नीचे से बिजली के तार को न ले जायें।
- u भोजन बनाने का कार्य तेज हवा के समय नहीं करें।
- u जलती हुई माचिस की तीली अथवा अधजली बीड़ी एवं सिगरेट पीकर इधर—उधर ना फेकें।
- u खाना बनाते समय ढीले और पॉलिस्टर के कपड़े पहनकर खाना ना बनायें। हमेशा सूती कपड़ा पहन कर ही खाना बनायें।
- u सार्वजनिक स्थलों, ट्रेनों एवं बसों आदि में ज्वलनशील पदार्थ लेकर न चलें।



MAY						मई						2020				HOLIDAY		
Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	1	2	3		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					

- 01 मई श्रम दिवस
02 मई जानकी नवमी
07 मई बुद्ध पुर्णिमा
25 मई ईद-उल-फित्र (ईद)

सुरक्षित शनिवार :

- प्रथम शनिवार : विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना का सूत्रण
द्वितीय शनिवार : विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना का सूत्रण
तृतीय शनिवार : बजपात (ठनका) एवं चक्रवाती तूफान /अँधी से खतरे एवं इसके उपाय के बारे में जानकारी
चतुर्थ शनिवार : अगलगी, लू से खतरे एवं बचाव के संदर्भ में जानकारी



बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
BIHAR STATE DISASTER MANAGEMENT AUTHORITY
(आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार)


द्वितीय तल पंत भवन, बेली रोड, पटना – 800001, फोन : +91(612) 2522032, फैक्स : +91(612) 2532311, Visit us : www.bsdma.org e-mail : info@bsdma.org अन्य उपयोगी फोन नंबर, राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र (SEOC-0612-2294204-205)



लू/गर्म हवाओं से बचाव

JUNE
2020

हमारे राज्य में गर्मी के महीनों में गर्म हवाएँ एवं लू चलती हैं जिनका प्रतिकूल प्रभाव हमारे शरीर पर भी पड़ता है, जो कभी—कभी तो जानलेवा भी साबित हो सकता है। इस संबंध में नीचे दिये गये उपायों का पालन कर के गर्म हवाओं/लू के बुरे प्रभाव से बचा जा सकता है।



गर्म हवाएं/लू से सुरक्षा के उपाय

- u जितनी बार हो सके पानी पीयें, बार—बार पानी पीयें। सफर में अपने साथ पीने का पानी हमेशा रखें।
- u जब भी बाहर धूप में जायें यथा संभव हल्के रंग के, ढीले—ढाले एवं सूती कपड़े पहनें। धूप के चश्मे का इस्तेमाल करें। गमछे या टोपी से अपने सिर को ढके व हमेशा जूता या चप्पल पहनें।
- u हल्का भोजन करें, अधिक पानी की मात्रा वाले मौसमी फल जैसे— तरबूज, खीरा, ककड़ी, खरबूजा, संतरा आदि का अधिकाधिक का सेवन करें।
- u घर में बने पेय पदार्थ जैसे लस्सी, नमक—चीनी का घोल, छाँच, नींबू—पानी, आम का पन्ना इत्यादि का नियमित सेवन करें।
- u अपने दैनिक भोजन में कच्चा प्याज, सत्तू, पुदीना, सौंफ तथा खस को भी शामिल करें।
- u जानवरों को छाँव में रखें एवं उन्हें भी खूब पानी पीने को दें।
- u रात में घर में ताजी और ठंडी हवा आने की व्यवस्था रखें।
- u स्थानीय मौसम के पूर्वानुमान और आगामी तापमान में परिवर्तन के बारे में विभिन्न विश्वसनीय सूत्रों से लगातार जानकारियां लेते रहें।
- u अगर तबीयत ठीक न लगे या चक्कर आये तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।



लू लगाने पर क्या करें

- u लू लगे व्यक्ति को छाँव में लिटा दें अगर उनके शरीर पर तंग कपड़े हो तो उन्हें ढीला कर दें अथवा हटा दें।
- u लू लगे व्यक्ति का शरीर ठंडे गीले कपड़े से शरीर पोछें या ठंडे पानी से नहलायें।
- u उसके शरीर के तापमान को कम करने के लिए कूलर, पंखे आदि का प्रयोग करें।
- u उसके गर्दन, पेट एवं सिर पर बार—बार गीला तथा ठंडा कपड़ा रखें।
- u उस व्यक्ति को ओ०आर०एस०/नींबू – पानी नमक चीनी का घोल, छाँच या शर्बत पीने को दें, जो शरीर में जल की मात्रा को बढ़ा सके।
- u लू लगे व्यक्ति को शीघ्र नजदीकी स्वारथ्य केन्द्र में ले जाये।

क्या न करें

- u जहाँ तक संभव हो कड़ी धूप में बाहर न निकलें।
- u अधिक तापमान में बहुत अधिक शारीरिक श्रम न करें।
- u चाय, काफी जैसे— गर्म पेय तथा जर्दा तंबाकू आदि मादक पदार्थों का सेवन करें अथवा न करें।
- u ज्यादा प्रोटीन वाले भोजन जैसे – मांस, अंडा व सूखे मेवे जो शारीरिक ताप को बढ़ाते हैं, का सेवन कम करें अथवा न करें।
- u यदि व्यक्ति गर्मी या लू के कारण पानी की उल्टियां करें या बेहोश हो तो उसे कुछ भी खाने—पीने को न दें।
- u बच्चों को बंद वाहनों में अकेला न छोड़ें।



JUNE जून 2020

जून

2020

HOLIDAY

05 जून कबीर जयन्ती

Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
							1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28	29	30					

सुरक्षित शनिवार :

- | | |
|----------------|---|
| प्रथम शनिवार | : अपने गाँव के बच्चों के साथ गाँव /टोले / मोहल्ले का बाल सुरक्षा समिति के मदद से हजार्ड हंट |
| द्वितीय शनिवार | : अवकाश के दौरान हजार्ड हंट एवं अगलागी से बचाव का अभ्यास |
| तृतीय शनिवार | : अवकाश के दौरान हजार्ड हंट एवं लू / गरम हवा, वज्रपात से बचाव का अभ्यास |
| चतुर्थ शनिवार | : अवकाश के दौरान अपने गाँव के बच्चों के साथ गाँव/टोले का हजार्ड हंट एवं आपदा प्रबंधन योजना का निर्माण |
| पंचम शनिवार | : स्वच्छता संबंधित जानकारी एवं उसका अभ्यास |



बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
BIHAR STATE DISASTER MANAGEMENT AUTHORITY
(आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार)

द्वितीय तल पंत भवन, बेली रोड, पटना – 800001, फोन : +91(612) 2522032, फैक्स : +91(612) 2532311, Visit us : www.bsdma.org e-mail : info@bsdma.org अन्य उपयोगी फोन नंबर, राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र (SEOC-0612-2294204-205)



झूबने से होने वाली मौतों की रोकथाम

JULY
2020

वर्षा ऋतु में उफनायी नदियों/तालाबों में स्नान करने, कपड़ा एवं बर्तन धोने जैसे रोजाना के काम के दौरान किशोर/किशोरियों की मृत्यु झूबने के कारण हो जाती है। कई घरों के चिराग बुझ जाते हैं, यह स्थिति संबंधित परिवारों के लिए त्रासद है। इन बहुमूल्य जिन्दगियों को बचाने के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान दें :-

क्या न करें:-

- खतरनाक घाटों के किनारों पर न जायें और न ही बच्चों को जाने दें।



क्या करें:-

- बच्चों को नदी/तालाबों/तेज पानी के बहाव में स्नान करने से रोकें।
- बच्चों को पुल/पुलिया/उंचे टीलों से पानी में कूद कर पानी में स्नान करने से रोकें।
- नदी में उत्तरते समय गहराई का ध्यान रखें।
- झूबते व्यक्ति को धोती, साड़ी, रस्सी या बांस की सहायता से बचायें। यदि तैरना नहीं जानते हों तो स्वयं पानी में न जायें और सहायता के लिए शोर मचायें।
- गांव/टोले में झूबने की घटना होने पर आस-पास के लोग आपस में एकत्रित होकर ऐसी दुःखद घटना की चर्चा अवश्य करें और भविष्य के सुरक्षा उपायों पर चर्चा करें।

झूबे हुए व्यक्ति को पानी से निकालकर तत्काल प्राथमिक उपचार निम्न प्रकार करें:-

- सबसे पहले देख लें, यदि झूबे हुए व्यक्ति के मुंह व नाक में कुछ फंसा हो तो निकाल दें।
- नाक और मुंह पर उँगलियों के स्पर्श से जांच कर लें कि झूबे हुए व्यक्ति की सांस चल रही है कि नहीं।
- नब्ज की जांच करने के लिए गले में किनारे के हिस्सों में उँगलियों से छूकर जानकारी प्राप्त करें कि नस चल रही है कि नहीं।
- नब्ज व सांस का पता नहीं चलने पर झूबे व्यक्ति के मुँह से मुँह लगाकर

दो बार भरपूर सांस दें व 30 बार छाती के बीच में दबाव दें तथा इस विधि को 3-4 बार दुहरायें। ऐसा करने से धड़कन वापस आ सकती है व सांस चलना शुरू हो सकती है।

- प्रभावित व्यक्ति खांसने/बोलने/सांस ले सकने की स्थिति में हैं तो उसे ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करें।
- यदि प्रभावित व्यक्ति का पेट फूला हुआ है तो पूरी संभावना है कि उसने पानी पी लिया होगा, अतः पेट से पानी निकालने की प्रक्रिया शुरू करें।
- उपरोक्त प्रक्रिया के बाद बचाये गये व्यक्ति को नजदीकी डॉक्टर अथवा प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र पर ले जायें।
- डॉक्टर या प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र पर ले जाने के लिए स्थानीय स्तर पर जो भी साधन उपलब्ध हो उसका प्रयोग करें या 108/102 पर फोन कर एम्बुलेंस बुला लें।
- झूबे हुए व्यक्ति को पेट के बल सुलाएँ तथा पेट के नीचे तकिया या छोटा बर्तन जो भी उपलब्ध हो उसे लगा दें। इसके बाद पीठ के निचले हिस्से पर धीरे-धीरे दबाकर पानी बाहर निकालें।
- झूबे हुए व्यक्ति को पुनः उठाकर पीठ के सहारे सुलाएँ तथा आराम करने दें।
- मूर्छा या बेहोशी आने पर पुनः साँस देने व छाती में दबाव देने की प्रक्रिया शुरू करें।
- उपरोक्त प्रक्रिया के बाद बचाए गये व्यक्ति को अविलम्ब नजदीकी डॉक्टर अथवा प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र पर ले जाएँ।



JULY **गुरुवार** **2020** **HOLIDAY**

Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
							1	2	3	4	5		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		

सुरक्षित शनिवार :

- | | |
|------------------|---|
| प्रथम शनिवार : | हाथ धुलाई, व्यक्तिगत स्वच्छता, आसपास की साफ- सफाई, कचरा प्रबंधन की जानकारी एवं अभ्यास |
| द्वितीय शनिवार : | भूकम्प के संदर्भमें कौशल विकास, मॉकड्रिल तथा अभ्यास |
| तृतीय शनिवार : | वज्रपात से बचाव की जानकारी |
| चतुर्थ शनिवार : | बाढ़ से बचाव हेतु कौशल विकास एवं प्रशिक्षण तथा अभ्यास (मॉकड्रिल) |



बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
BIHAR STATE DISASTER MANAGEMENT AUTHORITY
(आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार)

द्वितीय तल पंत भवन, वेली रोड, पटना - 800001, फोन : +91(612) 2522032, फैक्स : +91(612) 2532311, Visit us : www.bsdma.org e-mail : info@bsdma.org अन्य उपयोगी फोन नंबर, राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र (SEOC-0612-2294204-205)





बिहार राज्य में आँधी— पानी के साथ ठनका (वज्रपात) गिरने की काफी घटनाएं होती है। ठनका लगने से कई लोगों के मरने एवं घायल होने की भी सूचना प्राप्त होती है। सामान्यतया मानसून पूर्व एवं मानसून की बारिश के समय ठनका गिरने की घटनाएं होती है। ठनका गिरने से जन—धन को होने वाली हानि से बचाव के दृष्टिकोण से यह आवश्यक है कि ठनका से बचने के लिए थोड़ी सावधानी बरतें। इससे बचने हेतु निम्न सुझावों पर अमल करना चाहिए –

क्या करें

- u यदि आप खुले में हों तो शीघ्रातिशीघ्र किसी पक्के मकान में शरण लें।
- u सफर के दौरान अपने वाहन में ही बने रहें।
- u खिड़कियाँ, दरवाजे, बरामदे एवं छत से दूर रहें।
- u ऐसी वस्तुएँ, जो बिजली की सुचालक हैं, उनसे दूर रहें।
- u बिजली के उपकरणों या तार के साथ संपर्क से बचें व बिजली के उपकरणों को बिजली के संपर्क से हटा दें।
- u तालाब और जलाशयों से भी दूरी बनायें रखें।
- u समूह में न खड़े हों, बल्कि अलग—अलग खड़े रहें।
- u यदि आप जंगल में हो तो बौने एवं घने पेड़ों की शरण में चले जायें।
- u धातु से बने कृषि यंत्र— डंडा आदि से अपने को दूर कर दें।
- u स्थानीय रेडियो अन्य संचार साधनों से मौसम की जानकारी प्राप्त करते रहें।
- u आसमानी बिजली के झटके से घायल होने पर पीड़ित व्यक्ति को तत्काल नजदीकी प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र ले जाने की व्यवस्था करें।
- u यह सुनिश्चित कर लें कि पीड़ित की नाड़ी एवं श्वास चल रही है।
- u ठनका के मामले में मृत्यु का तात्कालिक कारण हृदयाघात है। अगर जरूरी हो तो “संजीवन क्रिया,” (Cardiopulmonary Resuscitation CPR) प्रारंभ कर दें।
- u “संजीवन क्रिया, प्राथमिक चिकित्सा” (Cardiopulmonary Resuscitation)

Resuscitation) CPR देने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि प्रभावित व्यक्ति के शरीर से विद्युत का प्रभाव न हो रहा हो।

- u यदि आप खेत खलिहान में काम कर रहे हों और किसी सुरक्षित स्थान की शरण न ले पायें हों तो –
 - (क) जहां हैं वहीं रहें, हो सके तो पैरों के नीचे सूखी चीजें जैसे— लकड़ी, प्लास्टिक, बोरा या सूखे पत्ते रख लें।
 - (ख) दोनों पैरों को आपस में सटा लें एवं दोनों हाथों को घुटनों पर रख कर अपने सिर को जमीन के तरफ यथा संभव झुका लें तथा सिर को जमीन से न सटाएं।
 - (ग) जमीन पर कदापि न लेटें।

क्या न करें

- u उँची इमारत वाले क्षेत्रों में शरण नहीं लें।
- u साथ ही बिजली एवं टेलीफोन के खंभों के नीचे कदापि शरण नहीं लें, क्योंकि उँचे वृक्ष, उँची इमारतें एवं टेलीफोन/बिजली के खंभे आसमानी बिजली को अपनी ओर आकर्षित करते हैं।
- u पैदल जा रहे हों तो धातु की डंडी वाले छातों का उपयोग न करें।
- u यदि घर में हों तो पानी का नल, फ्रिज, टेलीफोन आदि को न छूएँ।
- u बाहर रहने पर धातु से बनी वस्तुओं का उपयोग न करें। बाइक, बिजली या टेलीफोन का खंभा, तार की बाढ़, मशीन आदि से दूर रहें।

AUGUST अगस्त 2020

Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
31												1	2
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

HOLIDAY

- 01 अगस्त बकरीद
11 अगस्त श्री कृष्ण जन्माष्टमी
15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस
30 अगस्त मुहर्रम

सुरक्षित शनिवार :

- प्रथम शनिवार : पेयजल की अशुद्धता से होने वाले खतरे एवं इसके उपाय के बारे में जानकारी
- द्वितीय शनिवार : बाढ़ से खतरे एवं बचाव के उपाय, कौशल विकास एवं प्रशिक्षण तथा अभ्यास (मॉकड्रिल)
- तृतीय शनिवार : साँप—बिचू एवं अन्य विषेले जीव—जन्तुओं के काटने से होनेवाली परेशानियाँ एवं समाधान के संदर्भ में जानकारी
- चतुर्थ शनिवार : नाव दुर्घटना एवं पानी में डूबने से बचाव के संदर्भ में जानकारी
- पंचम शनिवार : रवच्छता संबंधित जानकारी एवं उसका अभ्यास



बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
BIHAR STATE DISASTER MANAGEMENT AUTHORITY
(आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार)



बाढ़–सुरक्षा

बिहार भारत के सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त राज्यों में से एक है। राज्य के 28 जिले बाढ़ प्रवण हैं, जिनमें से 15 जिले अति बाढ़ प्रवण हैं। राज्य की कुल आबादी के लगभग 76 प्रतिशत लोग बाढ़ प्रवण क्षेत्र में रहते हैं। निम्न उपाय अपना कर बाढ़ से होने वाली क्षति को कम किया जा सकता है:



क्या करें

- u अगर आपका घर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में हो तो मकान मजबूती से सीमेंट आदि से बनवाएं। बाढ़ से मिट्टी के घर सबसे जल्दी ढह जाते हैं।
- u घर के सभी सदस्यों को नजदीकी सुरक्षित आश्रय का पता हो।
- u आपातकालीन किट हमेशा अपने पास रखें, जिसमें एक छोटी रेडियो, टॉच, बैटरी, मजबूत रस्सी, माचिस, मोमबत्ती, पानी, सूखा भोजन, खाद्य सामग्री आदि हों।
- u पालीथीन बैग या वाटरप्रूफ बैग में कपड़े, महंगे सामान, छाता, चीनी, नमक, इत्यादि रखें।
- u मजबूत रस्सी एवं एक लम्बी लकड़ी अपने पास हमेशा रखें।
- u चेतावनी व सुझाव के लिए रेडियो सुने या टी वी देखें और स्थानीय अधिकारियों की चेतावनियों पर ध्यान रखें।
- u अफवाह पर ध्यान न दें और न ही घबराएं।
- u बाढ़ से पहले बैलगाड़ी, कृषि उपयुक्त समान और पालतू जानवरों को ऊँची सुरक्षित जगह पर ले जाएं।
- u बाढ़ के दौरान खाना ढंक कर रखें। हल्का भोजन करें एवं उबला हुआ पानी पिएं।

- u चाय, चावल का पानी, नारियल पानी आदि का दस्त के समय सेवन करें। ORS व अन्य उपचार के लिए अपने नजदीकी स्वारथ्य केंद्र को संपर्क करें।
- u बाढ़ पीड़ितों के राहत सामग्री बांटने में मदद करें।
- u सबसे पहले गर्म कपड़े, जरूरी दवाएँ, कीमती वस्तुएं, निजी कागज आदि को वॉटर प्रूफ बैग में डाल कर उन्हें आपातकालीन बॉक्स में अपने साथ रख लें।
- u नल के पानी को उबालकर तब तक पीयें जब तक कि संबंधित विभाग द्वारा हैलोजेन की गोलियां पानी में डालने के लिए उपलब्ध न करा दी गई हों।
- u सांपों एवं अन्य जहरीले जन्तुओं से बचकर रहें।
- u बच्चों को बाढ़ के पानी के पास खेलने से रोकें।

क्या न करें

- u अगर पानी की गहराई की जानकारी न हो तो उसे कभी भी पार करने की कोशिश न करें।
- u ऐसे किसी भी खाद्य पदार्थ का सेवन न करें जो कि बाढ़ के पानी से प्रभावित हुआ हो।



SEPTEMBER 2020

HOLIDAY

Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
							1	2	3	4	5	6	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				

सुरक्षित शनिवार :

- | | |
|----------------|---|
| प्रथम शनिवार | : डायरिया के संबंध में जानकारी तथा ओ. आर.एस. बनाने से संबंधित कौशल प्रशिक्षण एवं अभ्यास |
| द्वितीय शनिवार | : रेल / सड़क दुर्घटना से बचाव के संदर्भ में जानकारी |
| तृतीय शनिवार | : भूकंप से खतरे एवं बचाव के बारे में जानकारी (मॉकड्रिल) |
| चतुर्थ शनिवार | : बाल अधिकार, बाल विवाह, बाल शोषण तथा बच्चों से छेड़छाड़ के संदर्भ में जानकारी |



बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
BIHAR STATE DISASTER MANAGEMENT AUTHORITY
(आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार)

द्वितीय तल पंत भवन, वेली रोड, पटना – 800001, फोन : +91(612) 2522032, फैक्स : +91(612) 2532311, Visit us : www.bsdma.org e-mail : info@bsdma.org अन्य उपयोगी फोन नंबर, राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र (SEOC-0612-2294204-205)



नाव दुर्घटना से बचाव

OCTOBER
2020

राज्य में नाव दुर्घटना में बहुमूल्य जिंदगियाँ मौत की गोद में चली जा रही हैं। हम सब इसे रोक सकते हैं। अगर हम नाव दुर्घटना से बचने के निम्न उपाय करलें।

नाव की सवारी करने वाले कृपया ध्यान दें

- u जिस नाव पर पंजीकरण संख्या अंकित हो उसी नाव से यात्रा करें।
- u जिस नाव पर लदान क्षमता दर्शाते हुए सफेद पट्टी का निशान लगी हो उसी नाव से यात्रा करें।
- u किसी भी स्थिति में ओवरलोडेड नाव पर न बैठें।
- u नाव चलने से पहले देख लें कि लदान क्षमता दर्शाने वाला सफेद पट्टी का निशान ढूबा तो नहीं है। अगर ढूबा है तो तुरंत उतर जायें।
- u जब बारिश हो रही हो तो नाव की यात्रा न करें।
- u छोटे बच्चों को अकेले नाव की यात्रा न करने दें।
- u जिस नाव जानवर ढोये जा रहे हों तो उसमें यात्रा न करें।
- u जर्जर/टूटी-फूटी नाव पर सवारी न करें। यह जानलेवा हो सकता है।
- u नाव पर जीवन रक्षा के लिए लाईफ जैकेट, लाईफ बॉय के साथ प्राथमिक उपचार बॉक्स एवं रस्से आदि ठीक तरीके से रखना अनिवार्य है।
- u नाव में यात्रा के दौरान शांत बैठे व उत्तरते-चढ़ते समय क्रम से ही नाविक के निर्देशानुसार उत्तरें व चढ़ें।
- u सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद नाव की यात्रा न करें। यह खतरनाक हो सकती है।
- u नाव यात्रा के दौरान किसी तरह की जल्दीबाजी न दिखाएँ और नाविक के उपर किसी तरह का दबाव न डालें।

नाविक या नाव मालिक कृपया ध्यान दें

- u जब तेज हवा /खराब मौसम/आँधी/बारिश हो रही हो तो नाव का संचालन न करें।
- u जिस नाव पर 15 से 30 तक सवारी बैठती हो तो उस नाव पर 2 नाविक होना अनिवार्य है तथा 30 से ऊपर बैठाने वाली बड़ी नाव पर 3 नाविकों का होना अनिवार्य है।
- u बीमार व्यक्तियों/गर्भवती माता को नाव पर चढ़ाने में प्राथमिकता दें।
- u किसी यात्री को किसी भी दशा में नाव संचालन न दें।
- u नाव पर किसी तरह का नशा सेवन करने से यात्रियों को रोकें।
- u जिस नाव पर जानवर ढोये जा रहे हों तो उस नाव में जानवर के मालिक के अलावा अन्य सवारी न बैठायें।
- u किसी भी तरह की नाव, चाहे उस पर सवारी ढोयी जा रही हो अथवा जानवर या सामान, सभी नाव पर लदान क्षमता का निशान लगाना अनिवार्य है।
- u नाव पर ऐसी कोई भी सामान या खतरनाक सामग्री नहीं ढोयी जाएगी

जिससे अन्य यात्रियों को किसी प्रकार का खतरा उत्पन्न होता हो।

- u नाव से पानी निकालने/उलीचने के लिए नाव में आवश्यक बर्तन रखें।
- u रात में नाव का परिचालन न करें। यदि आवश्यक हो तो सक्षम प्राधिकार की अनुमति प्राप्त कर विशेष रोशनी के साथ करें।
- u मानसून अवधि में सूर्योदय के पूर्व एवं 5:30 बजे शाम के बाद नाव का परिचालन न करें।

जिला प्रशासन कृपया ध्यान दें

- u बिना निबंधन के कोई भी नाव चाहे वह किसी भी उद्देश्य (व्यक्तिगत/संस्थागत) के लिए प्रयोग की जा रही हो, उसका परिचालन गैर कानूनी है। बगैर निबंधन के नाव का परिचालन नहीं होने दें।
- u नावों में अलग से डीजल इंजन/मशीन बिना सक्षम प्राधिकार के अनुमति के नहीं लगाया जा सकता है। इसे सुनिश्चित किया जाए।
- u घाटों पर प्रशिक्षित तैराकों, गोताखोरों एवं नजदीकी पुलिस थाना एवं जिला प्रशासन के प्रमुख पदाधिकारी का फोन नंबर अवश्य प्रदर्शित कराया जाए।
- u सुनिश्चित किया जाए कि नावों पर लदान क्षमता के साथ सफेद पट्टी का निशान हर हाल में अंकित रहे ताकि यात्री समझ सकें कि नाव में कितने लोगों के बैठने की क्षमता है।
- u नाव संचालन के संबंध में बिहार सरकार के बंगाल नौ-घाट अधिनियम, 1885 के अधीन आदर्श नियमावली, 2011 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।
- u मॉनसून अवधि में सूर्योदय के पूर्व एवं 5:30 बजे शाम के बाद नाव के परिचालन पर रोक लगा दी जाए।
- u नजदीकी पुलिस थाना, प्रशिक्षित गोताखोरों का नंबर घाटों पर अवश्य अंकित कराया जाए।



OCTOBER

अप्टूबर

2020

HOLIDAY

Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
										1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

- 2 अक्टूबर गाँधी जयन्ति
08 अक्टूबर चेहल्लुम
23 अक्टूबर सप्तमी
24 अक्टूबर महाअष्टमी
25 अक्टूबर महानवमी
26 अक्टूबर विजयादशमी

सुरक्षित शनिवार :

- प्रथम शनिवार : दशहरा / छठ / मुहर्रम आदि पर्वों में भीड़ एवं भगदड़ संबंधी जोखिम एवं बचाव (प्राथमिक उपचार, सी.पी.आर. सहित)
- द्वितीय शनिवार : नाव दुर्घटना एवं पानी में डूबने से बचाव के संदर्भ में जानकारी
- तृतीय शनिवार : दीवाली के पटाखों एवं प्रदूषण से उत्पन्न स्वास्थ्य संबंधी जोखिम एवं बचाव के संदर्भ में जानकारी
- चतुर्थ शनिवार : सड़क दुर्घटना से बचाव के संदर्भ में जानकारी



बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
BIHAR STATE DISASTER MANAGEMENT AUTHORITY
(आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार)



वायु प्रदूषण की रोकथाम एवं बचाव

NOVEMBER
2020

जाड़े के मौसम में वायुमंडल की निचली परत में छोटे पदार्थ एवं कार्बन संघनित होने के कारण वायु अपने नैसर्जिक गुणों के विपरीत प्रदूषित होकर मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण को कुप्रभावित करती है। बिहार की राजधानी पटना सहित अन्य कई नगरीय क्षेत्रों में वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर होती जा रही है। निम्न उपायों से वायु प्रदूषण के कुप्रभाव को कम किया जा सकता है:-



क्या करें

- u घरेलु उपयोग हेतु यथासंभव निर्धूम चूल्हा, सोलर कूकर, एलोपीओजी ० या बिजली से चलने वाले उपकरणों का उपयोग करें।
- u अपने वाहनों की ट्यूनिंग सही रखें ताकि वाहन उत्सर्जन से प्रदूषण की समस्या न हो। अपनी कार का प्रदूषण स्तर हर तीन महीने के अंतराल पर जाँच करवायें और उसे सही रखें।
- u निजी वाहनों के उपयोग के बदले वाहन पूलिंग/सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करें।
- u डीजल एवं पेट्रोल चालित टेम्पू के स्थान पर ई.-रिक्शा की सवारी को प्रोत्साहित करें।
- u अधिक से अधिक साईकिल का इस्तेमाल करें।
- u नगरीय क्षेत्र के सड़कों की सफाई पानी छिड़काव से किया जाए।
- u सड़कों, पुलों आदि के निर्माण अथवा मरम्मति के दौरान पानी का नियमित छिड़काव सुनिश्चित किया जाय।
- u औद्योगिक इकाई अपने उत्सर्जन को मानक के अनुकूल बनाए रखें।
- u वृक्षारोपण को बढ़ावा दें एवं अपने घरों के आस-पास पेढ़-पौधों की देखभाल ठीक से करें।
- u जिस कमरे में कूलर, पंखा या एयरकंडिशनर जल्दी हो, वहीं चलायें, बाकी जगह बंद रखें।

- u बाहर के मुकाबले घरों में प्रदूषण का प्रभाव कम होता है इसलिए जब वातावरण में प्रदूषण अधिक हो तो घरों के अंदर चले जाएँ।
- u वायु प्रदूषण से होने वाली हानियों के प्रति आमजनों को सचेत करने हेतु प्रचार माध्यम जैसे दूरदर्शन, रेडियो, पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से प्रचार-प्रसार करना चाहिए।

क्या न करें

- u जीवाश्म ईंधनों यथा—कोयला तथा गोबर इत्यादि को अंगीठी में उपयोग न करें।
- u ठोस कचरों, टॉयर, जैविक अपशिष्ट, बागवानी से जनित अपशिष्ट आदि को खुले में न जलाएँ।
- u निर्माण सामग्री यथा—बालू, गिर्वी, मिट्टी का परिवहन ढक कर किया जाए तथा इनका आम सड़क पर भंडारण नहीं किया जाय।
- u जब जरूरत न हो तो बिजली का इस्तेमाल न करें।
- u अपने बगीचों में सूखी पत्तियाँ हो तो उन्हें न जलाएँ।
- u फसलों के अवशेष/डंठल/ठूंठ/भूसा को न जलायें ऐसा करने से वायु प्रदूषण फैलता है एवं फेफड़ों और दिल की बीमारी आदि का खतरा पैदा होता है।

NOVEMBER नवम्बर 2020

HOLIDAY

Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
30													1
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

सुरक्षित शनिवार :													
प्रथम शनिवार :													भगदड़ संबंधी जोखिम एवं बचाव के संदर्भ में जानकारी
द्वितीय शनिवार :													नाव दुर्घटना एवं पानी में डूबने से बचाव के संदर्भ में जानकारी
तृतीय शनिवार :													भूकंप से खतरे एवं बचाव के बारे में जानकारी (मॉकड्रिल)
चतुर्थ शनिवार :													बाल अधिकार, बाल विवाह, बाल शोषण तथा बच्चों से छेड़छाड़ के संदर्भ में जानकारी
पंचम शनिवार :													स्वच्छता संवर्धित जानकारी एवं उसका अभ्यास

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
BIHAR STATE DISASTER MANAGEMENT AUTHORITY
(आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार)



द्वितीय तल पंत भवन, बेली रोड, पटना - 800001, फोन : +91(612) 2522032, फैक्स : +91(612) 2532311, Visit us : www.bsdma.org e-mail : info@bsdma.org अन्य उपयोगी फोन नंबर, राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र (SEOC-0612-2294204-205)



सड़क सुरक्षा

कृपया ध्यान दें

DECEMBER
2020

बिहार में सड़क दुर्घटनाएं काफी भारी संख्या में हो रही है, जिससे व्यक्ति एवं उनके परिवार को काफी क्षति होती है। थोड़ी सावधानी एवं धैर्य से हम निम्नलिखित नियमों का पालन कर इन दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं:


क्या करें

- u सड़क पार करते समय दायें, बायें देख कर ही पार करें।
- u सड़क के बायें चलें एवं सड़क चिन्हों का अनुसरण करें।
- u जहाँ तक संभव जेब्रा लाइन से ही सड़क पार करें।
- u वाहन हमेशा सड़क के बायीं ओर और निर्धारित गति सीमा में चलायें।
- u दुपहिया वाहन चालक और उनके पीछे बैठने वाली सवारी हमेशा हेलमेट पहन कर चलें।
- u हमेशा सीट बेल्ट बांध कर गाड़ी चलायें और अगली सीट पर बैठे यात्री भी सीट बेल्ट बांध लिया करें।
- u ट्रैफिक के नियमों और संकेतों का पालन करें।
- u गाड़ी दाये और बायें मुड़ते समय, गाड़ी रोकते समय और गाड़ी धीमी करते समय संकेत (Indicator) अवश्य दें।
- u सड़क दुर्घटना में घायल किसी व्यक्ति को तुरंत प्राथमिक उपचार दें और उसे तुरंत किसी नजदीकी चिकित्सालय में ले जायें। नये कानून के अनुसार घायल का ईलाज सबसे पहले करें। इसमें पुलिस की प्रतीक्षा करने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है।
- u वाहन सवार एवं पैदल यात्री एम्बुलेंस एवं अग्निशामन सेवा की गाड़ियाँ जाने के लिए रास्ता छोड़ दें।

- u गाड़ी हमेशा सड़क के बायें किनारे पर खड़ी करें। साथ ही हमेशा बायें तरफ से ही उतरें।
- u गाड़ी का दरवाजा खोलते समय पीछे से आने वालों की सुरक्षा का ध्यान रखें।
- u सड़क पर चौराहा/तिराहा आने के पूर्व वाहन की गति धीमी कर लें एवं उसे पार करने के पूर्व दाहिने और बायें देखें एवं सावधानी बरतें।
- u शांत दिमाग से एवं धैर्यपूर्वक सामान्य गति से गाड़ी चलायें।
- u रेल फाटक या लाइन पार करते समय रेलवे लाईन के दोनों ओर देख कर ही ध्यान से पार करें।
- u गाड़ी की समय-समय पर सर्विसिंग कराते रहें।

क्या न करें

- u यदि कोई तेज वाहन आ रहा हो तो उस समय सड़क पार न करें।
- u सड़क पर चलते समय या सड़क पार करते समय कान में इयरफोन लगा कर न चलें।
- u नशे की हालत में गाड़ी कदापि न चलाएं। नशे में गाड़ी चलाना अपनी मृत्यु को निमंत्रण देने जैसा होगा।
- u गाड़ी चलाते समय सेल्फी न लें इससे दुर्घटना हो सकती है।
- u बिना लाईसेंस के वाहन न चलाएं।
- u थकान महसूस करने पर गाड़ी न चलाएं।



DECEMBER							दिसंबर							2020						
Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
							1	2	3	4	5	6								
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31										

25 दिसंबर क्रिसमस

सुरक्षित शनिवार :

- | | |
|----------------|---|
| प्रथम शनिवार | : निमोनिया एवं सर्दी-खूसी /जुकाम, आँख एवं त्वचा का संक्रमण, चेचक से खतरे तथा इसके बचाव के उपाय की जानकारी |
| द्वितीय शनिवार | : हाथ धुलाई, खुले में शौच के खतरे, सुरक्षित मल का निपटान के संदर्भ में जानकारी |
| तृतीय शनिवार | : जल एवं भूमि का संरक्षण, वायु प्रदूषण एवं पेड़-पौधों का संरक्षण के संदर्भ में जानकारी |
| चतुर्थ शनिवार | : शीतलहर से खतरे एवं इससे बचाव के उपाय के बारे में जानकारी। |



बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
BIHAR STATE DISASTER MANAGEMENT AUTHORITY
(आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार)





बिहार में दुर्गापूजा, छठ, कुंभ मेला, ईद, मुहर्रम आदि जैसे त्योहारों के अवसर पर बहुत भीड़ होती है, जिससे भगदड़ हो सकती है। ऐसा देखा गया है कि भगदड़ के दौरान मरने वाले ज्यादातर बच्चे एवं महिलाएं होते हैं। योड़ी सावधानी एवं धैर्य से हम निम्नलिखित नियमों का पालन कर भगदड़ को नियंत्रित कर सकते हैं :

सामान्य नागरिक क्या करें

- u पूजा पंडालों/दशहरा मेले में आगमन एवं निकास की समुचित व्यवस्था (पुरुष एवं महिलाओं के लिए अलग-अलग) यथा बैरिकेडिंग की व्यवस्था।
- u चिकित्सा दल एवं एम्बुलेंस की पर्याप्त व्यवस्था।
- u बिजली के तारों एवं उपकरणों में सुरक्षा के पूर्ण उपायों की व्यवस्था।
- u पार्किंग की समुचित एवं सुचारू व्यवस्था।
- u विसर्जन में प्रयुक्त नावों में सुरक्षा संबंधी उपाय एवं गोताखोरों की व्यवस्था।
- u भीड़ नियंत्रण के लिए नियंत्रण कक्ष की स्थापना/लाउड स्पीकर से लगातार आवश्यक सूचनाओं की घोषणा।
- u मूर्तियों के विसर्जन हेतु घाटों एवं रथलों को चिन्हित कर लिया जाय।
- u आग से बचाव की समुचित व्यवस्था।
- u समुचित रोशनी की व्यवस्था।
- u विसर्जन क्रमबद्ध रूप से कराया जाय।
- u पूजा पंडालों/मेला या विसर्जन स्थल पर पटाखों आदि का इस्तेमाल न हो।

जिला प्रशासन क्या न करें

- u भीड़ को एक जगह एकत्रित न होने दें।
- u एक ही ओर से भीड़ को आने और जाने न दिया जाय।
- u किसी भी प्रकार की अफवाह न फैलने दी जाय।
- u बिजली के तारों एवं उपकरणों के पास लोगों को न जाने दें।
- u किसी भी प्रकार की अराजकता न फैलने दी जाय।
- u मूर्ति विसर्जन के समय नावों में निर्धारित /लदान क्षमता से ज्यादा लोगों को न बैठने दिया जाय।

सामान्य नागरिक क्या न करें

- u किसी भी प्रकार की अफवाह न फैलाएं और न ही उन पर ध्यान दें।
- u मेले में साथ लाये बच्चों को अकेला न छोड़ें न ही उन्हें इधर-उधर जाने दें।
- u दुर्गा पूजा के मूर्ति विसर्जन में तैराकी न जानने वाले पानी के भीतर न जाएं।
- u मेले में किसी भी प्रकार के पटाखे / ज्वलनशील पदार्थ न ले जाएं तथा धूम्रपान न करें।
- u मेले में किसी भी प्रकार की अराजकता न फैलाएं।


JANUARY						जनवरी						2021								
Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	1	2	3				
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31							



बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
BIHAR STATE DISASTER MANAGEMENT AUTHORITY
(आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार)



जल संरक्षण



क्या करें

- u बहते/टपकते नल को तुरंत ठीक करायें या उसके नीचे बाल्टी या कटोरा रखे और उस पानी का उपयोग करें।
- u वाशिंग मशीन में थोड़े—थोड़े कपड़े धोने के बजाए इकट्ठे कपड़ा धोएँ।
- u रसोईघर में इस्तेमाल किये गये पानी को पौधों की सिंचाई के उपयोग लायें।
- u आवश्यकतानुसार पीने का पानी ग्लास में लें।
- u नहाने के लिये शॉवर की जगह नल का प्रयोग करें।
- u चापाकल से उतना ही पानी निकालें जितना जरूरत हो।
- u सब्जियों/फलों को धोने के लिये बड़े भगोने या बर्तन में पानी भर कर धोयें।

u पौधों में पानी पाईप की जगह वाटर कैन से डालें।

u गीजर में गर्म पानी आने से पहले ठण्डा पानी आता है, उसे फेंकें नहीं दूसरे जगह इस्तेमाल करें।

u फलश ऐसा लगवाएँ जिसमें पानी का फोर्स कम हो।

u नालियाँ साफ रखें क्योंकि इसकी सफाई में काफी पानी बर्बाद होता है।

u पेड़—पौधे अधिक से अधिक लगाएँ ताकि बारिश हो और पानी की कमी न हो।

क्या न करें

- u ब्रश करते, दाढ़ी बनाते, बर्तन धोते समय बेकार का पानी न बहाएँ तथा नहाते समय बाल्टी से व्यर्थ पानी न बहाएँ।

शहरी बाढ़ की रोकथाम, शमन एवं तैयारी हेतु पट्टना घोषणा पत्र

आज दिनांक 1 जून, 2018 को शहरी बाढ़ विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रतिनिधियों से प्राप्त सुझावों के आलोक में शहरी क्षेत्र में बाढ़ आपदा जोखिम न्यूनीकरण की समेकित कार्य—योजना को इस घोषणा पत्र के माध्यम से अंगीकार किया जाता है। इसमें जो प्रतिबद्धताएँ शामिल हैं उसे राज्य सरकार के संबंधित विभाग, नगर निकाय, जिला प्रशासन, एजेंसियाँ, अंतर्राष्ट्रीय गैर—सरकारी संगठन तथा नागरिक समाज मिलकर पूरा करेंगे।

शहरी क्षेत्र में बाढ़ आपदा जोखिम न्यूनीकरण की समेकित कार्य—योजना निम्नानुसार है—

1. सभी हितभागियों को शामिल करते हुये जागरूकता अभियान के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में बाढ़ आपदा जोखिम न्यूनीकरण को संस्थागत बनाया जाएगा।
(कार्रवाई — राज्य / जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण संबंधित नगर निकाय / जिला प्रशासन / नागरिक समाज)

2. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि शहरों के सभी जलनिकास एवं पारंपरिक जलनिकाय बाधा मुक्त हों एवं उनकी जल ग्रहण क्षमता पूर्ववत बनी रहे। इसके लिए नागरिकों के व्यवहार परिवर्तन पर जोर दिया जाएगा ताकि जलनिकासों एवं पारंपरिक जलनिकायों का अतिक्रमण न हो एवं प्रशासनिक तंत्र द्वारा उनको अतिक्रमण मुक्त करने के स्थायी उपाय किए जाएंगे।
(कार्रवाई — संबंधित नगर निकाय / जिला प्रशासन / नागरिक समाज)

3. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि शहरी कचरे जलनिकास में बाधा न बने, उनके सुरक्षित निपटान के लिए स्थायी एवं परिस्थिकीय के अनुकूल सुदृढ़ योजना तैयार कर उनका क्रियान्वयन अभियान मोड़ में किया जाएगा।
(कार्रवाई — संबंधित नगर निकाय / नागरिक समाज)

4. मानसून के पूर्व मौसम पूर्वानुमान एवं पूर्व चेतावनी तंत्र निर्बाध रूप से सक्रिय रहे तथा सूचनाएँ समय सभी संबंधित तक पहुँचने के साथ—साथ सभी शहरी निवासियों

तक सम्प्रेषण के विभिन्न माध्यमों से पहुँचती रहे।
(कार्रवाई — आपदा प्रबंधन विभाग / भारतीय मौसम विज्ञान विभाग / संबंधित नगर निकाय)

5. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि शहरी बाढ़ की स्थिति में जन—सामान्य का आवागमन बाधित न हो, इसके लिए सुगम परिवहन की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
(कार्रवाई — परिवहन विभाग / संबंधित नगर निकाय / जिला प्रशासन)

6. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी संबंधित आकस्मिक सेवाएँ जैसे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवहन, पेयजल एवं स्वच्छता, दूर संचार, बिजली, भोजन आदि सभी मौसम पूर्वानुमान के आधार पर नागरिकों को अहर्निश उपलब्ध रहें।
(कार्रवाई — राज्य सरकार के संबंधित विभाग / संबंधित नगर निकाय / जिला प्रशासन)

7. नगर निकायों के सभी स्तर पर सभी संबंधित विभागों, निकायों, अभिकरणों, केंद्रीय अभिकरणों एवं गैर—सरकारी संस्थाओं, के बीच समन्वय स्थापित कर संयुक्त रूप से पूर्व समीक्षा एवं अनुश्रवण तंत्र स्थापित किया जायेगा एवं उनकी भूमिका सुनिश्चित की जायेगी। आवश्यक उपभोग की वस्तुओं के मूल्य वृद्धि एवं जमाखोरी आदि पर निगरानी रखी जाएगी।
(कार्रवाई — आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन समूह) / संबंधित नगर निकाय / जिला प्रशासन / खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग)

8. सामुदायिक कौशल, ज्ञान एवं क्षमताओं को समाहित करते हुये समावेशी एवं सहभागी प्रक्रियाओं के माध्यम से आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित सभी शहरी निकायों की वार्ड स्तर पर कार्य योजनाएँ तैयार की जाएँगी। इन योजनाओं में प्रासंगिक विशिष्टियों एवं सामाजिक समूहों के विविध आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जायेगा।
(कार्रवाई — संबंधित नगर निकाय / जिला प्रशासन)

9. बाढ़ आपदा से शहरों को सुरक्षित बनाने के लिए आवश्यक

वित्तीय संसाधनों एवं मानव संसाधनों की व्यवस्था की जायेगी।

(कार्रवाई — नगर विकास एवं आवास विभाग / संबंधित नगर निकाय / जिला प्रशासन)

10. शहरी बाढ़ आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन हेतु नवीनतम तकनीकों यथा फलड जोनिंग, कंटूर मैपिंग, मोबाइल ऐप आदि का समुचित उपयोग किया जाएगा जैसा कि मुंबई, सूरत, बैंगलुरु, चेन्नई आदि शहरों में किया गया है।

(कार्रवाई — नगर विकास एवं आवास विभाग / संबंधित नगर निकाय)

11. जोखिम को कम करने के लिए बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप 2015–2030 के अंतर्गत वर्णित सुरक्षित शहर एवं सुरक्षित आजीविका की अवधारणाओं एवं गतिविधियों के अनुसार आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
(कार्रवाई — नगर विकास एवं आवास विभाग / संबंधित नगर निकाय)

12. क्षमता वर्धन, ज्ञान प्रबंधन एवं जन जागरूकता के कार्यक्रमों में पर्याप्त निवेश कर शहरी बाढ़ आपदा जोखिम न्यूनीकरण की प्रक्रियाओं को सुदृढ़ किया जायेगा।

(कार्रवाई — बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण / नगर विकास एवं आवास विभाग / संबंधित नगर निकाय) इन्हीं

12 प्रतिबद्धताओं के माध्यम से शहरी क्षेत्र की बाढ़ आपदा से निपटने की विस्तृत एवं सूक्ष्म स्तर पर कार्य योजना का निरूपण कर लागू किया जायेगा। उपर्युक्त प्रतिबद्धताओं मार्गदर्शी सिद्धांत के रूप में काम करेंगी तथा सरकार के प्रशासनिक तंत्र के द्वारा बहुहितभागी सहभागिता एवं सहयोग से पूरी की जायेंगी।

यह घोषणा पत्र दिनांक 1 जून 2018 को बाढ़ सुरक्षा सप्ताह—2018 के प्रथम दिवस पर सभी संबंधित हितधारकों की सहमति से जारी किया गया।

